

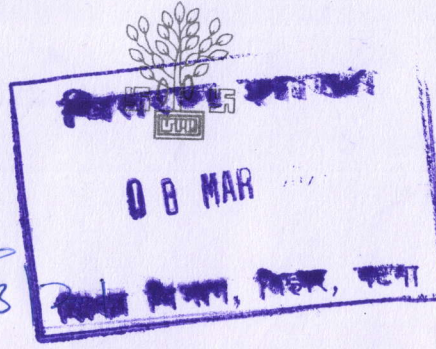
नीतीश मिश्रा

पूर्व मंत्री

बिहार सरकार

सदस्य

बिहार विधान सभा



Ref: 105/2021

Dt- 07-03-2021

आदरणीय मंत्री महोदय,

विषय:- संस्कृत विद्यालय कार्यरत शिक्षाकर्मियों के हितार्थ माननीय पटना उच्च न्यायालय में एल.पी.ए. संख्या-1851/2015 अशोक कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में।

भारत की पवित्र भूमि पर आदिकाल से चली आ रही संस्कृत भाषा के अध्ययन हेतु संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गयी है। पूर्व में तत्कालीन सरकार ने बिहार में सभी स्वीकृत (वित्त सहित) संस्कृत शिक्षाकर्मियों के हक में बिहार सरकार का दो-दो कैबिनेट का फैसला दिनांक 12.12.1980 मद सं० 41 एवं 20.02.1990 w.e.f 01.01.1990 में सरकारी विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय एवं नन मायनोरिटी विद्यालय के बीच Absolute Parity का सिद्धांत स्थापित किया गया था।

माननीय पटना उच्च न्यायालय एल.पी.ए. संख्या-1851/2015 एवं अन्य अशोक कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के आलोक में वेतन पुनरीक्षण का लाभ 01.01.1986, 01.01.1996 एवं 01.01.2006 से सरकारी विद्यालय की तरह संस्कृत शिक्षाकर्मियों को प्रदान करने के लिए है, जो सरकार के घोषित Absolute Parity Decision पर ही आधारित है।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक सं०- 33 दिनांक 05.03.2019 के अनुसार संयुक्त सचिव द्वारा निर्गत पत्रांक 269 दिनांक 7.02.2019 के पारा सं०- 2 एवं 5 में Absolute Parity Decision दिनांक 20.02.1990 से संबद्ध है। इसका लाभ मदरसों एवं अल्पसंख्यक

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014

Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com

f /NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanniharpur.co.in

विद्यालय को देना सराहनीय है, तथा संस्कृत शिक्षाकर्मों को भी इसका लाभ देना हितकर होगा।

माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश को ससमय अनुपालन करने से संबंधित निर्देश मुख्य सचिव बिहार द्वारा निर्गत पत्रांक- 7/मु0 2-67/2019-113 दिनांक 27.01.2020 का समय करीब एक वर्ष से अधिक हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि अनुरोध है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 13.08.2019 को पारित आदेश के आलोक में सरकारी विद्यालय की तरह संस्कृत शिक्षाकर्मों को भी विभिन्न वेतन पुनरीक्षण वेतनमान का लाभ देते हुए अंतर्वेतन की राशि निर्गत करने हेतु न्यायसंगत कार्रवाई करना चाहेंगे।

सादर,

भवदीय

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 7.3.21

सेवा में,
श्री विजय कुमार चौधरी जी,
माननीय मंत्री,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।